


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :- 154/2021 रास्ता प्रकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

30.9.2021

तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दरतावेजात पेश किया गया। पटवार मंडल देरवाला के राजस्व ग्राम खांगा का बास में हाल भूमि खसरा नं. 309/140, 285/81, 139, 138, 137, 117, 121, 119 व 105 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेड, जमाबंदी, इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिपंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया जाकर रास्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुन्झुनू को सुना गया। रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू होना पाया गया तथा संलग्न ग्राम पंचात के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार मौके पर ग्रेवल डली हुई है। तहसीलदार झुन्झुनू के अनुसार प्रचलित रास्तों को रिकार्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.21 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकार्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त निजी खातेदारी में ही रहेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैंशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं वाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।


अखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)